मजदूरों के परिवार न्याय के लिए सड़कों पर

मारुति के मजदूरों के समर्थन में आगे आओ !

भाईयो और बहनो,

हम मारुति कंपनी के पीड़ित मजदूरों के परिवारों के लोग एक बेहद चुनौती की घड़ी में आप सभी से मुखातिब हैं। मारुति मैनेजमेंट की साजिश के शिकार मजदूरों की वर्तमान स्थिति से आप सभी परिचित होंगे। अब तक एक सौ पचास से ज्यादा निर्दोष मजदूरों को जेल में डाला जा चुका है। झूठी बातों पर हां कहलवाने के लिए उन्हे अक्सर मारा-पीटा जा रहा है। शेष मजदूर पुलिस के उत्पीड़न से बचने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। मैनेजमेंट मजदूरों को अपराधी साबित करने के लिए कमर कस चुकी है। बिना किसी सुनवाई के ही उन्हे अपराधी घोषित कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन में बैठे हुए लोग भी कंपनी के वफादार सेवक की भूमिका निभाने लगे हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में हमारे पास और कोई चारा न होने के कारण हमने मजदूरों के मुद्दे को न्यायालयों से लेकर सड़क तक लड़ने के लिए संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से हमने मारुति के मजदूरों के पीड़ित परिवारजनों को लेकर '**मारुति मजदूर संघर्ष एकता कमेटी**' का गठन किया है। हम अपनी भावनावों को आपसे साझा कर रहे हैं ताकि आप खुद ही सही और गलत का फैसला करें।

भाईयो, हम सभी देश के कानूनों का इंच-इंच पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन 18 जुलाई की घटना के बाद की कार्रवाई ने हमारी आंखों को खोल दिया। हमने देखा कि मारुति 'कांड' के मामले में कानून का किस कदर मखौल उड़ाया गया। मजदूरों को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। बहुत सोची-समझी चाल के तहत उन्हे बलि का बकरा बनाया गया। हमने तो यही सीखा कि कानून का पालन करना एक अच्छे नागरिक की पहचान है। लेकिन कहां का कानून, कहां की न्याय? यहां तो मारुति मैनेजमेंट ने जो कहा वही कानून बन गया। हरियाणा सरकार, प्रशासन और मीडिया ने बेशर्मी से मैनेजमेंट के सुर से सुर मिलाया। उन्होने 'एक झूठ को सौ बार कहो तो वह सच लगने लगता है'- की नीति को अपनाते हुए मजदूरों को बिना जांच-पड़ताल के फटाफट अपराधी घोषित कर दिया।

यही नहीं मैनेजमेंट ने भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 546 मजदूरों को अपराधी घोषित कर नौकरी से निकाल दिया। पुलिस ने मजदूरों के परिवारों को भी नहीं बख्शा। उन्हे आज भी सताया जा रहा है। ऐसी एक के बाद एक घटनाओं हमें कोई संदेह नहीं रहा कि इन एकतरफा ताबड़तोड़ कार्रवाइयों की असली वजह मारुति मैनेजमेंट को बचाना है। जेल में बंद मजदूरों व अन्य श्रमिकों से बात करने के बाद हमारा संदेह पक्की राय में तब्दील हुई। हमने पाया कि -

1) 18 की शाम मैनेजमेंट ने बहुत योजनाबद्ध ढंग से भाड़े के गुंडों, जिन्हे बाउंसर कहा जाता है, से मजदूर नेताओं पर हमला करवा कर मजदूरों को मारपीट में फंसाया है।

2) 18 जुलाई के कांड के लिए मजदूर भी मैनेजमेंट के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाना चाहते थे। लेकिन प्रशासन ने श्रमिकों पर दमन का ऐसा जबर्दस्त माहौल बना कर रखा है कि उन्हे इसका मौका ही नहीं मिला।

3) श्रमिकों की दृढ़ राय है कि कंपनी में उन्होने कहीं भी आग नहीं लगाया। उनका कहना है कि मामले को भयावह रूप देने के लिए मैनेजमेंट ने खुद ही यह काम करवाया है। अवनीश देव की हत्या को भी उन्होने मैनेजमेंट का षडयंत्र बताया। अवनीश देव के परिवार वालों ने भी मैनेजमेंट को ही कठघरे में खड़ा किया था।

4) सीसीटीवी कैमरों को एक सीरे से तोड़ने के आरोप को भी श्रमिकों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। वे कहते कि मैनेजमेंट ने छोटे-छोटे कैमरे कहां-कहां लगा रखा है उसकी सारी जानकारी होना मजदूरों के लिए संभव नहीं है। इन्हे मैनेजमेंट ने ही तुड़वाया है ताकि बाउंसरों द्वारा मजदूर नेताओं को पीटने, मजदूरों को भड़काने और गाड़ियों को तोड़ने जैसी करतूतें दुनिया के सामने जाहिर न हो जाये।

5) जिन मैनेजरों का खतरनाक तरीके से घायल हो जाने की बात का बहुत प्रचार किया गया था उन सभी को 21 अगस्त को पूरी तरह स्वस्थ ढंग से कंपनी ज्वाइन करते देखा गया। वास्तव में वे कितना घायल हुए थे इसका कोई सबूत नहीं

मिल पाया। जबकि मजदूरों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होने लोहे की रॉड से मैनेजरों की कत्ल करने की कोशिश की थी।

6) ऐसा संभव है कि बाउंसरों की भड़काने वाली कार्रवाइयों से श्रमिक भी धक्का-मुक्की व मारपीट में उलझ गये हों लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी है कि श्रमिकों की प्रतिक्रिया को हजार गुना बढ़ा कर प्रचार किया गया है। जबकि बाउंसरों के जरिए मैनेजमेंट जिस योजना को लागू कर रहा था उसे पूरी तरह दबा दिया गया है।

हमारी राय में मजदूरों ने किसी भी प्रकार की कोई अपराध नहीं की हैं। वे सभी निर्दोष हैं। उनका 'अपराध' तो बस इतना ही था कि उन्होने देश के संविधान में लिखे अधिकारों की मांग की। और किन परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्होने यह मांग की? क्या आपने कंपनी के आस-पास गंदगी से बजबजाते हुए मजदूर बस्तियों को देखा है जहां उन्हे रहना पड़ता था? क्या आप कंपनी के अंदर की उस हालात से वाकिफ है जहां उन्हे अपमान और जिल्लत झेलते हुए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी? अगर आप उस हालात से परिचित है तो आप भी सहमत होंगे कि मजदूरों द्वारा यूनियन की मांग करना कतई गलत नहीं था। मैनेजमेंट ने जब उनकी मांग को ठूकरा दिया तभी वे आंदोलन के लिए मजबूर हुए। लेकिन हमने देखा कि बिना किसी हिंसा का सहारा लिए मारुति के श्रमिक बड़े धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। उनकी लड़ाई सिर्फ मजदूर हितों की लड़ाई नहीं थी वह हर मेहनतकश जनता की लड़ाई भी थी। सच तो यह है कि मारुति के श्रमिकों ने अपने संघर्ष के द्वारा हरियाणा की आम जनता के नाम को रौशन किया हैं। हमें उनके संघर्ष पर गर्व है।

लेकिन मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति कंपनी इस हद तक नफरत पालती है कि हक की बात करने वाले मजदूरों से पिण्ड छुटाने के लिए उन्होने करोड़ों का घाटा तक उठा लिया। उन्हे सजा दिलवाने के लिए आज भी वह करोड़ों रूपये लुटा रही है। यहां तक कि हरियाणा के लड़को को नौकरी में न रखने की योजना पर भी सोचा जा रहा है।

भाइयो, मारुति के पास पैसों की कमी नहीं है। वह कोर्ट-कचहरी, शासन-प्रशासन और नेताओं को खरीदने की क्षमता रखती है। वर्ष 2000 के आंदोलन को वह पैसों के बल पर कुचल भी चुकी है। हम पूछते हैं क्या उनकी अंधेरगर्दी आज भी जारी रहेंगी? क्या पैसों के आगे न्याय और ईमानदारी यूं ही दम तोड़ती रहेंगी? क्या हमारे आम समाज के लोगों को भी इन्ही सवालों से रोज-रोज जुझना नहीं पड़ता है? हरियाणा में बड़े स्तर पर उद्योग लगे- यह हम तहे दिल चाहते थे और आज भी चाहते हैं। लेकिन किस कीमत पर? क्या हम अपने नौजवानों के भविष्य की बलि चढ़ा कर इसे चाहेंगे? भाइयो, मारुति कंपनी, सरकार, प्रशासन और नेताओं के रवैये पर हमें कोई अचरज नहीं होता है, क्योंकि पूरे देश का माहौल ही ऐसा है। जहां बलात्कारी, कातिल और भ्रष्टाचारी छुट्टे घुम रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, जबकि जेलें गरीब और आम लोगों से भरी पड़ी हैं। ऐसे भ्रष्ट और वास्तविक अपराधियों से न्याय की उम्मीद की भी कैसे जा सकती है? इसलिए न्याय की लड़ाई लड़ने की अपील को लेकर हम आपके पास आए हैं। अगर आप को भी लगता है कि हमारी बातों में सच्चाई है तो आप चुप न बैठें। आइये, इससे पहले कि सच्चाई और न्याय के लिए उठे आवाज का गला घोंट दिया जाए हम सब मिल कर अपनी आवाज बुलंद करें।
आइये हम सब मिल कर मांग करें –

1– 18 जुलाई की रात से गिरफ्तार सभी श्रमिकों को तत्काल बिना शर्त रिहा करो!
2– 546 बर्खास्त श्रमिकों को काम में फिर से बहाल करो!
3– मैनेजमेंट के खिलाफ हत्या और षडयंत्र के केस दायर करो!

आपके सहयोग के आकांक्षी

2 सितंबर 2012

मारुति मजदूर संघर्ष एकता कमेटी
गुड़गांव (हरियाणा)

'मारुति मजदूर संघर्ष एकता कमेटी' की ओर से अवतार सिंह द्वारा मानेसर, गुडगांव से प्रसारित